न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 63 / 16

उनवान

1. घासी सिंह पुत्र छोगा
2. श्रीमती रमती पत्नी छोगा सिंह जाति रावत निवासी धोला दॉता न्यारा

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता रमेश सिंह रावत

बनाम

1. गोपाल पुत्र हजारी
2. कूका पुत्र हजारी
3. जय सिंह पुत्र हजारी,
4. जडाव पुत्री हजारी जाति रावत निवासी धोलादॉता न्यारा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :–

दिनाक :– 15.2.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम न्यारा में स्थित है जिसके खाता संख्या 364 / 329 किंता 6 रकबा 1.23है0 प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जरिये विरासत से प्राप्त अपने हिस्से पर कब्जा प्राप्त कर कृषि कार्य कर रहे है। वादग्रस्त आराजियात चौसाला व वर्किंग जमाबंदी के अनुसार विरासत से नामान्तकरण दर्ज होकर बालू वल्द छगना, हजारी हरजी पिसरान कल्ला एक हिस्सा दर्ज है इस खातेदारी जमाबंदी के अनुसार बालू छगना हरजी पिता कल्ला के स्थान पर हजारी का नाम गलती से दर्ज हो गया है जबकि हजारी के पिता का नाम छगना है न कि कल्ला है। उक्त वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज खातेदार बालू छगना व हरजी कल्ला के वारिस है व हजारी कल्ला का पुत्र नहीं है जबकि हजारी कल्ला का पुत्र नहीं होकर पौत्र है। उक्त जमाबन्दी में हजारी का नाम हटाकर व वल्द शब्द को हटाकर दुरूस्त करना है जो कि हाल जमाबंदी में छगना के स्थान पर हजारी का नाम दर्ज को छगना दर्ज करवाना है जो कि प्रार्थीगण का दादा व ससुर है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसको राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में छगना के स्थान पर हजारी दर्ज कर दिया है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया की कब्जे काश्त में दखअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करे व अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया की बन्दोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई भी गलत व त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रेकॉर्ड में नहीं किया गया है वर्तमान स्थिति में जो रेकॉर्ड है वह बिलकुल सही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण का वाद भारी व्यय से खारिज करने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को ही दोहराया है।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की बन्दोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई भी गलत व त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रेकॉर्ड में नहीं किया गया है वर्तमान स्थिति में जो रेकॉर्ड है वह बिल्कुल सही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वर्किंग जमाबन्दी अनुसार बालू पुत्र छगना, हजारी, हरजी पि0 कल्ला दर्ज है। धारा 212 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई प्रार्थना का विनिश्चयन करते समय प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति के तीनों घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि पर क्या अधिकार है यह तो साक्ष्यों के परीक्षण और उसके आधार पर वाद की कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसमे तो यही देखा जाना अपेक्षित है कि वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में बनता है या नहीं।

वादग्रस्त आराजियात वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041–44 अनुसार बालू वल्द छगना, हजारी, हरजी पि0 कल्ला के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि हजारी के पिता का नाम छगना है न कि कल्ला है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो की हजारी के पिता का नाम छगना है। यह मान भी लिया जावे की हजारी के पिता का नाम छगना है किन्तु वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज छोगा का नाम दर्ज नहीं है। जिससे यह स्पष्ट हो की वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069–72 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के खण्डन में भी कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किये है।

प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पूर्वज छोगा का वर्किंग जमाबन्दी में नाम दर्ज नहीं है। जिससे यह स्पष्ट हो सके की वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। अप्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है। कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही निर्णित होगें। अतः प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उन्हें क्या अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक अप्रार्थीगण सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

आदेश :– अतः ग्राम न्यारा के खाता संख्या 364/329 किंता 6 रकबा 1.23है0 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"अस्वीकार"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद